भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

<u>राज्यसभा</u>

<u>अतारांकित प्रश्न सं. 382</u>

(जिसका उत्तर सोमवार, 06 फरवरी, 2024/17 माघ, 1945 (शक) को दिया जाना है।)

फेसलेस कर मूल्यांकन

382. श्री एस. कल्याणसुंदरम:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) फेसलेस कर मूल्यांकन शुरु होने से पहले और शुरु होने के बाद कितनी कर राशि एकत्र की गई है, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) फेसलेस कर प्रणाली से होने वाले लाभों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) फेसलेस कर मूल्यांकन में करदाताओं का शिकायतों के निवारण के लिए सरकार द्वारा क्या-क्या कदम उठाए गए हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री पंकज चौधरी)

(क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 144ख के प्रावधानों के प्रभाव के आधार पर, फेसलेस मूल्यांकन की योजना 01.04.2021 से शुरू की गई थी। उक्त योजना के शुरू होने से पहले पिछले तीन वित्तीय वर्ष से लेकर वित्तीय वर्ष 2022-23 तक शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह इस प्रकार है :-

(करोड़ रुपये में)

वित्तीय वर्ष	शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह
वित्तीय वर्ष 2018-19	11,37,718
वित्तीय वर्ष 2019-20	10,50,681
वित्तीय वर्ष 2020-21*	9,47,176
वित्तीय वर्ष 2021-22	14,12,422
वित्तीय वर्ष 2022-23#	16,63,686

स्रोत: प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

*कोविड-19 महामारी से संबंधित है

अनंतिम

(ख) फेसलेस प्रणाली कर प्रशासन प्रक्रिया में अधिक दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के लिए निर्धारण, जुर्माना और अपील के संबंध में है। इसने प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर कार्यवाही के दौरान कर अधिकारी और करदाता के बीच भौतिक इंटरफ़ेस को समाप्त कर दिया है। करदाता और कर अधिकारियों के बीच सभी संचार या तो एक समर्पित ई-फाइलिंग पोर्टल या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से होते हैं, जिसमें कागज रहित और कुशल प्रक्रिया सुनिश्चित होती है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) के माध्यम से व्यक्तिगत सुनवाई इस प्रणाली का एक अभिन्न अंग है।

(ग) फेसलेस प्रक्रियाओं के संचालन से संबंधित शिकायतें सीपीजीआरएएमएस और नामित ईमेल आईडी faceless.smadhan.assessment@incometax.gov.in faceless.smadhan.penelty@incometax.gov.in, faceless.smadhan.appeals@incometax.gov.in, सहित विभिन्न चैनलो, डाक/ईमेल आदि के माध्यम से प्राप्त की जाती है।

शिकायतों को अधिकारियों की एक समर्पित टीम द्वारा और यह सुनिश्चित करने के लिए निगरानी की जाती है कि इनका प्रभावी और समयबद्ध तरीके से समाधान किया जाए। मुद्दों की पहचान करने और समयबद्ध और व्यवस्थित तरीके से ऐसे मुद्दों का समाधान करने के लिए शिकायतों का नियमित विश्लेषण किया जाता है। जहां भी आवश्यक हो करदाताओं की शिकायतों को कम करने के लिए प्रणालीगत सुधार किए जाते हैं।

****